



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239173  
CG-DL-E-27092022-239173

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4369]  
No. 4369]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2022/आश्विन 5, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022/ ASVINA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

सं. 35/2015-2020

विषय : दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना संख्या 34 में यथा—उल्लिखित टूटे हुए चावल (एचएस कोड 1006 40 00) की निर्यात अवधि को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2022 करना।

का.आ. 4558(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा टूटे हुए चावल (एच एस कोड 1006 40 00) की निर्यात अवधि को दिनांक 30 सितम्बर 2022 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 करती है। दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना सं. 34 के साथ पठित दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना संख्या 31 में यथा निहित सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना सं. 34 के साथ पठित दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना संख्या 31 के तहत यथा अनुमत टूटे हुए चावल (आईटीसी एचएस कोड 1006 40 00) की खेपों के निर्यात को 15 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/006/एम/23/ई-33460]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2022

**No. 35/2015-2020**

**Subject :** Extension for the period of exports of broken rice (HS code 1006 40 00) from 30<sup>th</sup> September, 2022 till 15<sup>th</sup> October, 2022 as mentioned in Notification No. 34 dt. 20.09.2022.

**S.O. 4558(E).**—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby extends the period for export of broken rice (HS code 1006 40 00) from 30<sup>th</sup> September, 2022 till 15<sup>th</sup> October, 2022. All other conditions as contained in Notification No. 31 dated 08.09.2022 read with Notification No.34 dated 20.09.2022 remain the same.

2. The Notification will come into force with immediate effect.

**3. Effect of this Notification:**

Export of consignments of broken rice (ITC HS code 1006 40 00) as permissible under Notification No.31 dated 08.09.2022 read with Notification No.34 dated 20.09.2022 has been extended till 15<sup>th</sup> October, 2022.

[F. No. 01/91/171/006/AM23/e- 33460]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-Officio Addl. Secy.